E-mail ID- registrararasua@gmail.com

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय

सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ०प्र०)

संदर्भ सं.: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 87 / 2016 दिनांकः 24 सितम्बर 2016

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक / प्राचार्य,
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

विषय महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन कराते हुए पठ्न–पाठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में मानकानुसार निर्धारित संख्या एवं अर्हताधारी शिक्षकों का अनुमोदन कराते हुए शैक्षिक सत्र 2016–17 में पठन–पाठन विश्वविद्यालय के शैक्षिक पंचाग (Academic Calander) के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में प्राप्त आदेशानुसार मुझे यह सूचित करना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अभी तक प्राचार्य व शिक्षकों का अनुमोदन नहीं कराया जा सका है, वे समस्त महाविद्यालय विज्ञापन की कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञों की सूची प्राप्त कर लें, जिसे कि चयन समिति की बैठक प्रत्येक दशा में विलम्बतम 30 सितम्बर 2016 तक आहूत करते हुए शिक्षक अनुमोदन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त कराया जा सके। महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षित है कि पाठ्यक्रमवार अनुमोदित शिक्षकों के सम्बन्ध में शिक्षकवार समस्त सूचनाएं कालेज लाग–इन पर उपलब्ध प्रोफार्मा पर भी उक्त तिथि तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अतएव जिन महाविद्यालयों द्वारा शिक्षक अनुमोदन की कार्यवाही 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण नहीं की जायेगी उन महाविद्यालयों की सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार 180 दिन की कक्षायें पूर्ण न होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा नहीं करायी जायेंगी। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का परीक्षा से वंचित होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को कालेज लागइन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2. निजी सचिव कुलपति जी को सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
कुलसचिव